

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।

संख्या- 69 / जि0आ0अ0 / अस्थायी व्यवस्थापन / 2020-21 / गाजीपुर / दिनांक: सई 08, 2020

संशोधित विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 07.5.2020 के क्रम में संशोधन किया गया है। उक्त विज्ञप्ति में जनपद गाजीपुर की 03 अव्यवस्थित भांग दुकानों को भी सम्मिलित करते हुए दिनांक 11.5.2020 से 24.5.2020 तक (14 दिवस) के लिए दैनिक आधार पर चलाया जाना है। उक्त के विवरण निम्नवत् है—

1-भांग

क्र0 सं0	दुकान का नाम	शॉप आई0डी0	प्रास्थिति	निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (रु0 में)	एक दिन की लाइसेंस फीस (रु0 में)	चौदह दिवस के न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	मिश्रबाजार	60061	नगर पालिका	260000	715	10010
2	बद्धोपुर	60087	ग्रामीण	115000	315	4410
3	बहरियाबाद	60216	ग्रामीण	135000	370	5180

आफर जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा आफर खुलने का स्थान, तिथि व समय के साथ-साथ उक्त विज्ञप्ति दिनांक 07.05.2020 में प्रकाशित अन्य शर्तें यथावत रहेगीं।

जिला आबकारी अधिकारी,
गाजीपुर।

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

संख्या 70-71 / जि0आ0अ0 / तददिनांक। दैनिक समाचार पत्र / दि-3-2020 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कम से कम स्थान में विज्ञापन प्रकाशित कर बिल जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी से सत्यापित कराकर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्रार
शेखर
दिनांक 08-05-2020

जिला आबकारी अधिकारी,
गाजीपुर।